जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
नया बिजली घर, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर - 342 003 फोन नं० 0291-748137: फैक्स न० 741870

क्रमांक:-अप्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु- /पत्रा० 0075/प्रे०सं० 1234

जोधपुर दिनांक, 5.12.2000

आदेश

विषय:- अकाल की स्थिति के कारण कृषि कनेक्शन
हेतु हरा चारा योजना

राज्य में अकाल की स्थिति को देखते हुये पिछले वर्ष राज्य सरकार के निर्देशानुसार, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने घास-चारा पैदा करने वाले कृषकों को कृषि कनेक्शन देने हेतु एक स्कीम प्रारम्भ की थी ।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (ग्रामीण विद्युतीकरण) के आदेश क्रमांक राराविम/ उमुअ/ ग्रा०वि० निरी०/भा.वि./प्रे० 2544 जयपुर, दिनांक 14-12-1999 (आर०ई०-178) के द्वारा साधारण श्रेणी में जिन कृषकों ने 13-12-1999 तक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिये वे ही इस इस योजना में शामिल किये गये । इस योजना के इच्छुक आवेदक को सादे कागज पर प्रार्थना पत्र के साथ रुपये 2000/- (अक्षरे रुपये दो हजार मात्र) तथा यह भी घोषणा करनी थी कि वे अपने कुऐ द्वारा सिंचित भूमि में 50 प्रतिशत जमीन पर अगले 6 माह तक चारा उगायेगें । यह स्कीम 31 दिसम्बर, 1999 तक ही प्रभावी थी ।

आदेश संख्या राराविम/ग्रावि/सर्वे एवं जॉच/अनु./फा.120/प्रे. 120 प्रे 3131 दिनांक 10-3-2000 द्वारा पूर्व में घोषित योजना को कुछ संशोधन कर अकाल की स्थिति को देखते हुए घास-चारा उगाने के इच्छुक किसानों के लिऐ अगले दो माह यानी 9 मई 2000 तक के लिये बढ़ा दी गयी । इस द्वितीय चरण में नये आवेदन कर्त्ताओं को भी शामिल किया गया था । 9 मई 2000 के बाद यह योजना बन्द कर दी गई ।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने अकाल की स्थिति को देखते हुऐ कृर्षि कनेक्शन हेतु इस वर्ष भी घास-चारा पैदा करने के लिये हेतु हरा चारा योजना पुन: तत्काल प्रभाव से लागु करने का निर्णय लिया गया है । यह योजना 30 जून 2001 तक लागू रहेगी । बाकी शर्ते पहले के आदेश क्रमांक राराविम/ग्रावि/सर्वे एवं जॉच/अनु./फा.120/प्रे. 120 प्रे 3131 दिनांक 10-3-2000 के अनुसार रहेगी ।

(एच०डी० चारण)
अध्यक्ष एवं प्रबन्घ निदेशक